

रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण
नियम-1998; तथा

Statutory Investigation into Railway
Accidents Rules-1998 and

रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच)
नियम-1998

Railway (Notice of and Inquiries into
Accident) Rules-1998

[PART-II, SECTION 3, SUBSECTION (i)]

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi 17th December, 1998

G.S.R. 257 & 63 - In exercise of the powers conferred by section 122 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. (1) These rules may be called the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Inquiry into a serious accident by the Commissioner of Railway Safety** - (1) (a) Where the Commissioner of Railway Safety receives notice under section 113 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) hereinafter referred to as the Act, of the occurrence of an accident which he considers of a sufficiently serious nature to justify such a course, he shall, as soon as may be, notify the Chief Commissioner of Railway Safety, the Railway Board and the Head of the Railway Administration concerned of his intention to hold an inquiry and shall, at the same time, fix and communicate the date, time and place for the inquiry. He shall also issue or cause to be issued a Press Note in this behalf inviting the public to tender evidence at the inquiry and send information relating to the accident to his office address.

(b) While notifying his intention to hold an inquiry as aforesaid, the Commissioner of Railway Safety shall also inform or cause to inform the Chief Secretary of the State, the District Magistrate and the Superintendent of Police of the district concerned.

(2) For the purpose of this rule, every accident to a train carrying passengers which is attended with loss of life of a passenger or passengers in the train or with grievous hurt, as defined in the Indian Penal Code (hereinafter referred to as the grievously hurt) to a passenger or passengers in the train or with serious damage to railway property of a value exceeding twenty five lakh rupees and any other accident which in the opinion of the Chief Commissioner of Railway Safety or the Commissioner of Railway Safety requires the holding of an inquiry shall be deemed to be an accident of such a serious nature as to require the holding of an inquiry.

These accidents shall be termed as "Serious train accidents".

(3) However, for any accident, the Chief Commissioner may either hold the inquiry himself or direct any Commissioner of Railway Safety to do so.

Explanation- The inquiry under this rule shall be obligatory only in those cases where the passengers, killed or grievously hurt were travelling in the train carrying passengers. If an accident involving a train carrying passengers leads to loss of life or grievous injury to any Railway Servant (s) irrespective of whether he was travelling in that passenger train or not, inquiry under this rule shall be obligatory. However, if a person being a railway servant or holding valid pass or ticket or otherwise travelling outside the Rolling Stock of a Passenger train (such as on foot-board or roof or buffers but excluding the inside of vestibules between coaches) is killed or grievously hurt, or is run over at a level crossing or elsewhere on the Railway track, an inquiry under this rule shall not be obligatory. Similarly, if in a collision between a road vehicle and a passenger train at a level crossing, no passenger in the train is killed or grievously hurt, it shall not be obligatory to hold an inquiry. For the purpose of this rule, Workmen's trains or Ballast trains or Material trains or Accident Relief trains or Tower wagons or such other trains carrying Workmen or Cattle specials/Military special carrying authorised escorts or similar such trains shall also be treated as Passenger trains and in the event of a workman or escort being killed or grievously hurt as a result of an accident to the train, an inquiry under this rule shall be obligatory.

(4) When an accident requiring the holding of an inquiry occurs at a station where the jurisdictions of two or more Commissioners of Railway Safety meet, the duty of complying with this rule shall devolve on the Commissioner of Railway Safety within whose jurisdiction the railway working such station lies. At other such locations where the issue cannot be resolved then it shall be finalised by the Chief Commissioner of Railway Safety.

(5) (a) If, for any reason, the concerned Commissioner of Railway Safety is unable to hold an inquiry at an early

date after the occurrence of such an accident, he shall intimate by the fastest means of communication without any delay to the Chief Commissioner of Railway Safety of the reasons why the inquiry cannot be held by him. The Chief Commissioner may choose to conduct the inquiry himself or direct any other Commissioner to take up the inquiry or decide to let the inquiry be conducted by the Railway Administration. The concerned Commissioner shall thereafter notify the Railway Administration and the Railway Board accordingly.

(b) On receipt of the proceedings of the joint inquiry (inquiry made by a Committee of railway officers) from the Head of the Railway Administration in accordance with rule 15 of Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1998, the Commissioner of Railway Safety shall scrutinise the same, and in case he agrees with the findings of the joint inquiry, shall forward a copy of the report to the Chief Commissioner of Railway Safety along with his views on the findings and recommendations made. In case the Commissioner feels, he may direct the Railway Administration either to conduct inquiry de-novo or re-examine specific issues and submit revised findings. On the other hand the Commissioner of Railway Safety, after examination of the joint inquiry proceedings, considers that an inquiry should be held by himself, he shall, as soon as possible, notify the Chief Commissioner of Railway Safety, the Railway Board, and the Head of the Railway Administration concerned, of his intention to hold an inquiry and he shall at the same time fix, and communicate the date, time and place for the inquiry.

(6) (a) Where having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into the accident under the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, the Commissioner of Railway Safety to whom notice of the accident has been given shall not hold his inquiry and where he has already commenced his inquiry he shall not proceed further with it and shall hand over the evidence, records or other documents in his possession, relating to the inquiry, to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

(b) If, as a result of the Police Investigation a regular case is lodged in a Criminal Court by the Police or arising out of the accident, a case is lodged in a Civil Court by interested person (s), the Commissioner shall finalise his Report and circulate the same as per rule 4, as a strictly confidential document.

3. **Commissioner of Railway Safety to submit a brief preliminary narrative report -**

Where a Commissioner of Railway Safety has held an inquiry in respect of any of the accidents described in sub-rule (2) of rule 2, he shall submit a brief preliminary narrative report to the Chief Commissioner of Railway Safety and the Railway Board simultaneously. In case Chief Commissioner of Railway Safety has held an inquiry terms of rules 2(3) and 2(5) he shall submit the brief preliminary narrative Report to the Railway Board. The report shall be factual and shall not contain any reference to persons implicated.

4. **Commissioner of Railway Safety to submit a report-**

- (1) Whenever the Commissioner of Railway Safety has made an inquiry under rule 2, he shall submit a confidential report in writing to the Chief Commissioner of Railway Safety and shall forward copies of the report to -
- (i) the Railway Board;
 - (ii) the Railway Administration of all the Zonal Railways;
 - (iii) in the case of a railway under the control of a State Government or Local Administration to such Government or Administration if the accident has occurred in that Railway;
 - (iv) other Commissioner of Railway Safety;
 - (v) the Director, Intelligence Bureau, Ministry of Home affairs, Government of India, if the Commissioner of Railway safety find that the accident was caused by sabotage or train wrecking.
- (2) In case the inquiry has been held by the Chief Commissioner of Railway Safety he shall forward his Report to the Authorities mentioned in (i) to (v) of sub rule (1) of this Rule.

5. **Publication of report** - Recommendations in regard to the publication of reports shall be made by the Chief Commissioner of Railway Safety and Railway Board (Ministry of Railways) informed accordingly. In case the Railway Board has reservations on the recommendations of the Chief Commissioner, the matter shall be finally decided by the Central Government (Ministry of Civil Aviation).

6. **District Magistrate or his representative to attend the inquiry conducted by Commissioner of Railway Safety-** Where no Magisterial inquiry is being made under clause (a) or (b) of rule 17 of the Railway (Notices of an Inquiries into Accidents) Rules, 1998, the District Magistrate shall, as far as possible attend the inquiry conducted by the Commissioner of Railway Safety personally or depute some other officer to represent him at the inquiry.

7. **District Superintendent of Police or his representative** - The District Superintendent of Police shall, as far as possible also attend the inquiry conducted by the Commissioner of Railway Safety personally or depute some other officer to represent him at the inquiry.

8. **Commissioner of Railway Safety to assist the Magistrate of the Commission of Inquiry etc. in clarifying technical matters** - The Commissioner of Railway Safety, as far as possible, assist any Magistrate making a judicial inquiry or an inquiry under rule 17 of Railway (Notices of and Inquiries into Accident) Rules 1998 or a Commission of Inquiry appointed under the Commission of Inquiry Act 1952 (60 of 1952), or any other Authority appointed by the Central Government to which all or any of the provisions of the said Act have been made applicable, whenever he may be called upon to do so for the purpose of clarification of any technical matters.

9. **Powers of the Commissioners of Railway Safety** - Nothing in these rules shall, except to the extent provided in sub-rule (6) of rule 2, be deemed to limit or otherwise affect the exercise of any of the powers conferred on Commissioner of Railway Safety by section 7 and 8 of Act, 1989.

10. **Repeal and Saving** - (1) The 'Statutory Investigation into Railway Accident Rules 1973', published with notification of Government of India in the Ministry of Tuourism & Civil Aviation No. 22 dated 2.6.73, part II, section 3 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, any thing done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

Sd/-

(Prakash Chandra)

Under Secretary to Govt. of India

Published in the Gazette of India dt. 2nd Jan. 99 & 6th March 99 G.S.R. No. 5 & 64.

(PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i))

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi The 21st Dec. 98

G.S.R. 5 & 64 - In exercise of the powers conferred by section 122 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

1. Short Title and Commencement -

(1) These rules may be called the Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Particulars to be given in the notices - The notices mentioned in section 113 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the Act), shall contain the following particulars, namely :-

- (i) kilometerage, or station or both, at which the accident occurred;
- (ii) time and date of the accident;
- (iii) number and description of the train; or trains;
- (iv) nature of the accident;
- (v) number of people Killed or injured, as far as is known;
- (vi) cause of the accident, as far as is known; and
- (vii) probable detention to traffic.

3. Responsibility for sending notices, to whom to be sent and mode thereof - Whenever any accident, as falls under section 113 of the Act (hereinafter referred to as "Reportable train accident") occurs in the course of working a railway, the station master nearest to the place at which the accident has occurred, or, where there is no station master, the railway servant in charge of the section of the railway on which the accident has occurred or any other Station Master in charge of a section of a railway to whom the report of the accident is made, shall give notice of the accident by telegraph to the Commissioner of Railway Safety, the District Magistrate and the District Superintendent of Police of the district in which the accident has occurred or such other Magistrate or Police Officer as may be appointed in this behalf by the State Government concerned and by telegraph, telephone or through special messenger or such other quick means as may be available, to the Superintendent of Railway Police and to the officer-in-charge of the police station within the local limits of which the accident has occurred.

Explanation - For the purpose of this rule, " Reportable Train Accident " under section 113 of the Act also include those usually attended with loss of human life (such as accidents to passenger trains involving collisions, derailments, train wrecking, or attempted train wrecking, cases of running over obstructions placed on the line, of passengers falling out of trains or of fires in trains), or grievous hurt as defined in the Indian Penal Code (hereinafter referred to as the grievous hurt), or serious damage to railway property of the value exceeding twenty five lakh rupees which have not actually occurred but which by the nature of the accident might reasonably have been expected to occur; and also cases of landslides or of breach by rain or flood which cause the interruption of any important through - line of communication for at least 24 hours.

4. Mode of sending notices to the State Government - The notice of accidents, required under section 113 of the Act, to be sent without delay by the Railway Administration, shall be sent to the State Government -

- (a) by telegram in the case of -

- (i) accidents deemed, under the Explanation to rule 3, to be serious by reason of loss of human life ;
- (ii) accidents by reason of which the permanent way is likely to be blocked for more than twenty four hours; and
- (iii) train wrecking or attempted train-wrecking; and

(b) by letter in all other cases.

5. Railway servant to report accidents - Every railway servant shall report, with as little delay as possible, every accident occurring in the course of working the railway which may come to his notice and such report shall be made to the nearest station master, or, where there is no station master, to the railway servant in-charge of the section of the railway on which the accident has occurred.

6. Station Master or railway servant in charge of the section to report accidents - The Station Master or the railway servant in-charge of the section, shall report all accidents in accordance with the rules laid down by the railway administration concerned for the reporting of accidents.

7. Railway Administration to report serious accidents -

(1) Whenever a serious accident, as defined in sub rule 2 of rule 2 the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules 1998, occurs, the railway administration concerned shall, as soon after the accident as possible, by telegraph, supply to the Press such particulars as are mentioned in rule 2 and as are till then available, and by supplementary telegrams, if necessary, immediately after further information is available. A copy shall be sent simultaneously by Express telegram to the Railway Board, the Commissioner of Railway Safety of the circle concerned and the Chief Commissioner of Railway Safety. In addition, the Commissioner of Railway Safety shall be informed, telephonically, of any serious accident, by the control of the Division in which the accident has occurred.

(2) For the purpose of sub-rule (1), an accident shall be a serious Railway accident where

- (i) accident to a train carrying passengers which is attended with loss of life or with grievous hurt to a passenger or passengers in the train, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 25,00,000 and any other accident which in the opinion of the Chief Commissioner of Railway Safety or Commissioner of Railway Safety requires the holding of an inquiry by the Commissioner of Railway Safety, shall be deemed to be a serious accident. A workman's train or a ballast train or a material or an Accident Relief train or a Tower wagon or such other train carrying workmen, or Cattle special/Military special carrying authorised escorts or similar such train shall be treated as a passenger train.
- (ii) an accident involving a train carrying passengers leads to loss of life or grievous injury to any Railway Servant irrespective of whether he was travelling in that passenger train or not, it shall come under the purview of inquiry by the Commission of Railway Safety and shall be treated as a 'Serious Railway accident'.

Provided that-

- (a) cases of trespassers run over and injured or killed through their own carelessness or of passengers injured or killed through their own carelessness, and
- (b) cases involving persons being Railway servant or holding valid passes/tickets or otherwise who are killed or grievously injured while travelling outside the rolling stock of a passenger train such as on foot board or roof or buffer but excluding the inside of vestibules between coaches, or run over at a Level Crossing or elsewhere on the Railway track by a passenger train, and
- (c) collision between a Road Vehicle and a passenger train at a Level Crossing where no passenger or Railway Servant is killed or grievously hurt shall not be treated as a 'Serious Railway Accident' even if those travelling in the road vehicle are killed or grievously hurt shall not be treated as serious railway accident, unless the Chief Commissioner of Railway Safety or Commissioner of Railway Safety is of the opinion that the accident requires the holding of an inquiry by the Commissioner of Railway Safety.

8. Facility for reaching the site of the accident - Whenever any accident has occurred in the course of working a railway, the Head of the Railway Administration concerned shall give all reasonable aid to the District Magistrate or the Magistrate appointed or deputed under rule 17 or to the Commission of Inquiry appointed under the Commissions

of inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority to whom all or any of the provisions of the said Act have been made applicable, and to the Commissioner of Railway Safety, medical officers the police and other concerned to enable them to reach the scene of the accident promptly, and shall also assist those authorities in making inquiries and in obtaining evidence as to the cause of the accident.

9. **Medical aid to the persons grievously hurt in accidents-** Whenever any accident, occurring in the course of working a railway, has been attended with grievous hurt, it shall be the duty of the Head of the Railway Administration concerned to afford medical aid to the sufferers, and to see that they are properly and carefully attended to till they are removed to their homes or handed over to the care of their relatives or friends. In any such case, or in any case in which any loss of human life or grievous hurt has occurred, the nearest available local medical officer shall be sent for if such medical officer is nearer at hand than the railway medical officer.

10. **Arranging attendance of railway servants at the place of judicial inquiries or inquiries conducted by Commissioner of Railway Safety or a Magistrate -** When an inquiry under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998 or under rule 17 of these rules, or a judicial inquiry is being made the Head of the Railway Administration concerned shall arrange for the attendance, as long as may be necessary, at the place of inquiry, of all railway servants whose evidence is likely to be required at such inquiry; and if the inquiry is to be held by the Commissioner of Railway Safety under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998. The Head of the Railway Administration concerned shall, -

(a) cause notice of the date, hour and place at which the inquiry will begin to be given to the officers mentioned in clauses (a) and (c) of sub-rule (1) of rule 14, and

(b) arrange for the attendance of the divisional officers, railway servants required as witness at the Inquiry.

11. **Action to be taken by Head of the Railway Administration on receipt of the report of Commissioner of Railway safety -** Whenever the Head of the Railway Administration concerned receives a copy of the report of the Commissioner of Railway Safety under rule 4 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998, he shall at once acknowledge its receipt, and -

(a) submit his remarks, on the views expressed in the Report, to the Chief Commissioner of Railway Safety with copy to the Commissioner of Railway Safety immediately on receipt of the Report by the Railway Administration and if he is not able to submit his remarks immediately he shall in his acknowledgement of the report indicate his intention to submit his remarks later as early as possible;

(b) if the Head of the Railway Administration concerned agrees with the views expressed in the Report and considers the prosecution of any person or persons desirable, he shall immediately forward a statement of such persons to the District Magistrate of the district in which the accident occurred, or to such other officer as the State Government may appoint in this behalf and to the concerned police authorities;

(c) in case the District Magistrate or Police authorities require copies of the Report, it may be sent to them and the confidentiality of the report should be made clear to the District/Police Authorities, and the Police Authorities shall, as soon as possible, intimate the Head of the Railway Administration concerned about their decision regarding launching any prosecution.

12. **Head of the Railway Administration to offer remarks on the suggestions made in the report of Commissioner of Railway Safety -** Whenever the report of the Commissioner of Railway Safety points to the necessity for or suggests a change in any of the rules or in the system of working of the Railway, the Head of the Railway Administration concerned shall, intimate the action which has been taken, or which it proposes to take, to prevent a recurrence of similar accidents, to the Chief Commissioner of Railway safety with copy to the Commissioner of Railway Safety.

13. **Joint inquiry - when dispensed with -** (1) Whenever a Reportable train accident, such as is described in section 113 of the Act has occurred in the course of working a railway, the Head of the Railway Administration concerned shall cause an inquiry to be promptly made by a Committee of railway officers (to be called a "joint inquiry") for a thorough investigation of the causes which led to the accident.

Provided that such an inquiry may be dispensed with -

(a) if any inquiry is to be held by the Commissioner of Railway Safety under rule 2 of the Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, 1998, or a Commission appointed under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or any other authority appointed by the Central Government to which all or any of the provisions of the said Commission of Inquiry Act have been made applicable under rule 2 of the said Statutory Investigation into Railway Accidents Rules, or

- (b) if there is no reasonable doubt as to the cause of the accident; or
- (c) if any department of the railway administration concerned intimates that it accepts all responsibility in the matter.

(2) Where such inquiry is dispensed with under clause (b) or clause (c) of the proviso to sub-rule (1), it shall be the duty of the Head of the department of the Railway Administration responsible for the accident to make such inquiry (to be called a "departmental inquiry") as he may consider necessary and, if his staff or the system or working is at fault, to adopt or suggest such measures as he may consider necessary for preventing a recurrence of similar accidents.

14. (1) **Notice of joint inquiry** - Whenever a joint inquiry is to be made, the Head of the Railway Administration concerned shall cause notice of the date and hour at which the inquiry will commence, to be given to the following officers, namely :-

- (a) the District Magistrate of the district in which the accident occurred or such other officer as the State Government may appoint in this behalf, the Superintendent of the Railway Police and the District Superintendent of Police;
- (b) the Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred; and
- (c) the Head of the Railway Police having jurisdiction at the place where the accident occurred or, if there are no Railway Police, the officer-in-charge of the police station having jurisdiction at such place.

(2) The date and hour at which the inquiry will commence shall be fixed so as to give the officers mentioned in sub-rule (1) sufficient time to reach the place where the inquiry is to be held.

(3) When a joint inquiry is held into an accident after receipt of information about the inability of the Commissioner of Railway Safety to hold an inquiry, under sub-rule (5) of rule 2 of the Statutory Investigation in Railway Accidents Rules, 1998, the Head of the Railway Administration concerned shall issue a Press Note in this behalf inviting the public to tender evidence at the inquiry or send information relating to the accident to the Joint Inquiry Committee at an address specified in the Press Note.

15. **Report of joint inquiry or departmental inquiry to be sent to the Head of the Railway Administration and the action to be taken thereon** - (1) As soon as any joint inquiry or departmental inquiry has been completed, the President of the Committee of Railway officers or the Head of the department, as the case may be, shall send to the Head of the Railway Administration concerned a report containing inter alia -

- (a) brief description of the accident;
- (b) description of the locality of the accident;
- (c) detailed statement of the evidence taken;
- (d) the conclusions arrived at together with a note of dissent, if any;
- (e) reasons for conclusion arrived at;
- (f) the nature and extent of the damage done;
- (g) when necessary, a sketch illustrative of the accident;
- (h) the number of railway servants killed or injured;
- (i) the number of passengers killed or injured;
- (j) an appendix containing extracts of the rules violated by the staff responsible for the accidents.

(2) The Head of the Railway Administration concerned shall forward, with his remarks as to the action that is intended to be taken in regard to the staff responsible for the accident or for the revision of the rules or the system of working, a copy of the report referred to in sub-rule (1) -

- (a) to the Commissioner of Railway safety for the section of the railway on which the accident occurred;
- (b) if no inquiry or investigation has been made under rule 17 or if a joint or departmental inquiry has been held first, to the District Magistrate or the officer appointed under clause (a) of sub-rule (1) of rule 14;

and

- (c) if any judicial inquiry is being made, to the magistrate making such inquiry.
- (3) The copy of the report aforesaid shall be accompanied -
- (a) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (2), by a statement of the persons involved in the accident whose prosecution the Head of the Railway Administration concerned considers to be desirable;
 - (b) in the case referred to in clause (c) of sub-rule (2) by a copy of the evidence taken at the inquiry.

16. Reports of inquiries into accidents not covered by section 113 to be forwarded to Commissioner of Railway Safety - (1) Whenever any accident, not of the nature specified in section 113 of the Act, such as averted collisions, breaches of block rules or other technical accidents, occurs in the course of working a railway, the railway administration concerned may cause an inquiry, either a joint inquiry or a departmental inquiry, to be held into the accident.

(2) Where an inquiry is held as provided under sub-rule (1), the head of the Railway Administration concerned shall forward a copy of the report of the inquiry to the Commissioner of Railway Safety for the section of the railway on which the accident occurred.

17. Magisterial Inquiry - Whenever an accident, such as is described in section 113 of the Act, has occurred in the course of working a railway, the District Magistrate or any other Magistrate who may be appointed in this behalf by the State Government, may either -

- (a) himself make an inquiry into the causes which led to the accident; or
- (b) depute a subordinate Magistrate, who if possible, should be a Magistrate of the first class, to make such an inquiry; or
- (c) direct investigation into the causes which led to the accident, to be made by the police.

Provided that where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into it under the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and for that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, a Magistrate or a police officer shall not make his inquiry or investigation under this rule and, where he has already commenced the inquiry or investigation, shall not proceed further with it; and such Magistrate or police officer shall hand over the evidence, records or other documents in his possession relating to the inquiry or investigation to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

18. Notice of Magisterial Inquiry - Whenever it is decided to make an inquiry under clause (a) or clause (b) of rule 17, the District Magistrate or other Magistrate appointed as aforesaid or the Magistrate deputed under clause (b) of rule 17 as the case may be, shall at once inform the Head of the Railway Administration concerned and the Divisional Railway Manager by telegraph, of the date and hour at which the inquiry will commence so as to enable the railway administration to summon the requisite expert evidence, and thereafter, he shall proceed to the scene of the accident and conduct the inquiry.

19. Judicial Inquiry - A magistrate, making an inquiry under rule 17, may summon any railway servant, and any other persons whose presence he may think necessary, and after taking the evidence and completing the inquiry shall, if he considers that there are sufficient grounds for holding a judicial inquiry, take the requisite steps for bringing to trial any person whom he may consider to be criminally liable for the accident.

20. The result of magisterial inquiry to be communicated to the Head of the Railway Administration - The result of every inquiry or investigation made under rule 17 shall be communicated by the Magistrate who has held such inquiry or investigation, to the Head of the Railway Administration concerned and to the Commissioner of Railway Safety.

21. Procedure for summoning railway servants to assist the Magistrate holding judicial inquiry - (1) If in the course of any judicial inquiry into an accident occurring in the course of working a railway, the Magistrate holding such inquiry desires the assistance of the Commissioner of Railway Safety Head of the Railway Administration concerned, he shall issue a requisition to the Chief Commissioner of Railway Safety or the Railway Board, for the presence of the Commissioner of Railway Safety or the Head of the Railway Administration, stating at the same time the nature of the assistance required, and if the assistance of any Railway Officer is required the Magistrate shall issue a requisition to the Head of the Railway Administration for his attendance in the Court.

(2) The requisition referred to in sub-section (1) shall state the nature of the assistance required. In summoning railway officials, the Magistrate shall take care not to summon on the same day so large a number of the employees, especially of one class, as to cause inconvenience to the working of the railway. In the case of serious accidents the Magistrate may obtain reports from the Commissioner of Railway Safety and the Head of the Railway Administration concerned in regard to the accident, before finally concluding the judicial inquiry.

22. Communication of the decision of judicial inquiry to the Railway Administration, Commissioner of Railway Safety and the State Government - On the conclusion of the judicial inquiry the Magistrate shall send a copy of his decision to the Head of the Railway Administration concerned and to the Commissioner of Railway Safety, and shall, unless in any case he thinks it unnecessary to do so, report the result of the inquiry to the State Government.

23. Police investigation - when to be dispensed with report on loss of life, grievous hurt, or damage to Railway property - (1) The Railway Police may make an investigation into the causes which led to any accident occurring in the course of working a railway and shall do so whenever -

- (a) any such accident is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding Rs. 25,00,000 or has prima facie been due to any criminal act or omission; or
- (b) the District Magistrate or the Magistrate appointed under rule 17 has given a direction under clause (c) of that rule :

Provided that where, having regard to the nature of the accident, the Central Government has appointed a Commission of Inquiry to inquire into it under the Commission of Inquiry Act, 1952, (60 of 1952), or has appointed any other authority to inquire into it and that purpose has made all or any of the provisions of the said Act applicable to that authority, or where a magisterial inquiry is being held under rule clause (a) or clause (b) of rule 17, the Railway Police shall not make an investigation under this rule, and, where they have already commenced their investigation, shall not proceed further with it; and shall hand over the records or other documents in their possession relating to the investigation to such authority as may be specified by the Central Government in this behalf.

(2) The Railway Police shall report, with as little delay as possible to the nearest station master, or where there is no station master, to the railway servant in-charge of the section of the railway, on which the accident has occurred, every accident which may come to their notice occurring in the course of working a railway attended with loss of human life, or with grievous hurt or with serious damage to railway property of the value exceeding twenty five lakh rupees or which has prima facie been due to any criminal act or omission.

24. (1) Status of Police officer investigating the accident-Whenever an investigation is to be made by the Railway Police -

- (a) in a case in which an accident is attended with loss of human life or with grievous hurt, or with serious damage to railway property of the value exceeding twenty five lakh rupees; or
- (b) in pursuance of a direction given under clause (c) of rule 17, the investigation shall be conducted by the Head of the Railway Police of the area in which the accident has occurred, or if that officer is unable to conduct the investigation himself, by an officer to be deputed by him.

(2) The officer deputed under sub-rule (1) shall ordinarily be the senior officer available, and shall whenever possible be a Gazetted Officer, and shall in no case be of rank lower than that of an Inspector :

Provided that the investigation may be carried out by an officer-in-charge of a police station -

- (i) in a case such as is referred to in clause (a) of sub rule (1), if no loss of life or grievous hurt has been caused to more persons than one or no damage to railway property of value exceeding twenty five lakh rupees has been caused or there is no reason to suspect that any servant of the railway has been guilty of neglect of any rule relating to the working of the railway; or
- (ii) in the case referred to in clause (b) of sub-rule (1), if the District Magistrate so directs.

25. Notice of police investigation - The officer who is to conduct an investigation in pursuance of rule 24 shall at once inform the Head of the Railway Administration concerned and the Divisional Railway Manager by telegraph of the date and hour at which the investigation will commence so that, if possible, the presence of a railway official may be arranged for to watch the proceedings and to aid the officer making the investigation, and thereafter, he shall proceed without delay to the scene of the accident and conduct the investigation there; so, however, that the absence of a railway official shall not, be allowed to delay the investigation which shall be conducted as soon as possible after the accident has taken place.

26. (1) **Assistance by the District Police** - In every case to which rule 24 applies, immediate information shall be given by the Railway Police of the area to the District Police, who, if so required, shall afford all necessary assistance and shall, if occasion arises, carry the investigation beyond the limits of the railway premises. But the Railway Police of the area shall primarily be responsible for carrying on the investigation within such limits.

(2) Subject to the provisions of these rules, the further prosecution of the case, on the conclusion of the police investigation, shall rest with the Railway Police.

27. **Communication of the result of police investigation** - The result of every police investigation shall be reported at once to the District Magistrate or other officer appointed in this behalf by the State Government, to the Head of the Railway Administration concerned or other officer appointed by him, and to the Commissioner of Railway Safety.

28. **District Police to discharge duties of Railway Police** - Where there is no Railway Police in the area, the duties imposed by rules 23, 24 and 25, sub-rule (2) of rule 26, and rule 27 on the Railway Police of the area, or on the Head of such Railway Police, shall be discharged by the District Police or by the District Superintendent of Police, as the case may be.

29. **Repeal and Saving** - (1) The Railway (Notices of and Inquiries into Accidents) Rules, 1973, are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the rules hereby repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions, of these rules.

Sd/-

Executive Director (Safety)
Railway Board

भारत के राजपत्र में दिनांक 26 दिसम्बर 98 तथा 6 मार्च 99 को सा.का.नि.

257 एवं 63 (भाग—दो, खण्ड 3, उपखण्ड—i) में प्रकाशित
नागर विमानन मंत्रालय
रेल संरक्षा आयोग

सा.का.नि. 257 एवं 63—केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **गम्भीर रेलगाड़ी दुर्घटनाओं की जाँच —**

(1) (क) जहाँ रेल संरक्षा आयुक्त को, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 113 के अधीन, किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने की सूचना मिले, जिसे वह इतनी गम्भीर समझता हो कि उसकी जाँच करना उचित हो, तो वह, यथासंभव शीघ्र, मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, जाँच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और साथ ही जाँच की तारीख, समय व स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा। इस संबंध में वह एक प्रेस नोट भी जारी करेगा या कराएगा जिसमें जाँच में साक्ष्य देने या दुर्घटना के संबंध में, अपने कार्यालय के पते पर, सूचना भेजने के लिये जनसाधारण को आमंत्रित किया जायेगा।

(ख) रेल संरक्षा आयुक्त, जाँच करने का अपना अभिप्राय पूर्वोक्त रूप में अधिसूचित करते समय संबंधित राज्य के मुख्य सचिव, संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को भी सूचित करेगा।

(2) इस नियम के प्रयोजन के लिए यात्रियों का वहन करने वाली रेलगाड़ी के साथ घटित हर गम्भीर दुर्घटना, जिसमें गाड़ी में यात्री या यात्रियों की जनहानि हुई हो, या जिस गाड़ी में किसी यात्री या यात्रियों को, भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित घोर उपहति हुई हो, या जिसमें रेल सम्पत्ति की पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या कोई अन्य दुर्घटना जिसकी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त की राय में जाँच करना अपेक्षित हो, ऐसी गम्भीर किस्म की दुर्घटना समझी जायेगी, जिसकी जाँच करना अपेक्षित है।

ये दुर्घटनाएं "गम्भीर दुर्घटनाएं" मानी जाएंगी।

(3) किसी भी दुर्घटना के लिये, मुख्य आयुक्त स्वयं जाँच कर सकता है या किसी रेल संरक्षा आयुक्त को ऐसा करने के लिये निर्देशित कर सकता है।

स्पष्टीकरण — जाँच केवल उन मामलों में बाध्यकारी होगी जहाँ वे यात्री जो मरे हैं या जिन्हें घोर उपहति पहुंची है यात्री वहन करने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे। यदि दुर्घटना में लिफ्ट यात्री वहन करने वाली रेलगाड़ी से कोई रेल सेवक मर जाता है या गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है इस बात को विचार में लाए बिना कि वह यात्री गाड़ी में यात्रा कर रहा था या नहीं, इस नियम के अन्तर्गत जाँच बाध्यकारी होगी। यद्यपि, यदि व्यक्ति रेल सेवक है या उसके पास विधिमान्य पास या टिकट है या अन्यथा यात्री गाड़ी के "चल स्टॉक" के बाहर यात्रा (जैसे फुटबोर्ड या छत या बफर्स पर लेकिन गाड़ियों के मध्य वेस्टीब्यूल के अन्दर छोड़कर) कर रहा हो, मर जाता है या गम्भीर रूप से उपहति हो जाता है, या समपार या रेलपथ पर कहीं और गाड़ी के नीचे आ जाता है तो इस नियम के अधीन जाँच बाध्यकारी नहीं होगी।

यदि समपार पर सड़क यान और सवारी गाड़ी के बीच टक्कर में कोई भी रेल यात्री न मरे या गम्भीर रूप से उपहति न हो, तो जाँच करना बाध्यकर नहीं होगा।

इस नियम के प्रयोजन के लिए कर्मकार गाड़ियाँ या गिट्टी गाड़ियाँ या सामान ढोने वाली गाड़ियाँ या दुर्घटना सहायता गाड़ियाँ या टावर वैगन या कर्मकारों का वहन करने वाली ऐसी ही अन्य गाड़ियाँ या पशु स्पेशल या मिलिटरी स्पेशल जो प्राधिकृत अनुरक्षकों को ले जा रही हो या इसी तरह की ऐसी गाड़ियों को भी यात्री गाड़ी माना जायेगा और कर्मकार या अनुरक्षक के ट्रेन दुर्घटना के कारण मारे जाने या गम्भीर रूप से उपहति होने की स्थिति में, इस नियम के अधीन जाँच करना बाध्यकर होगा।

(4) जब ऐसी दुर्घटना, जिसमें जाँच करना अपेक्षित हो, किसी ऐसे स्टेशन पर घटित हो, जो दो या दो से अधिक रेल संरक्षा आयुक्तों की अधिकारिता में आता है, तो इस नियम के अनुपालन का उत्तरदायित्व उस रेल संरक्षा आयुक्त का होगा जिसकी अधिकारिता में उस स्टेशन का संचालन करने वाली रेलवे पड़ती है। किसी भी प्रकार की शंका के मामले में उसका विनिश्चय मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करेगा।

(5) (क) यदि, किसी कारणवश संबंधित रेल संरक्षा आयुक्त किसी ऐसी दुर्घटना के घटित होने के बाद दुर्घटना की शीघ्र जाँच

करने में असमर्थ हो तो वह किसी भी त्वरित संचार माध्यम के द्वारा बिना विलम्ब के मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को उन कारणों को सूचित करेगा जिनके कारण उसके द्वारा जाँच नहीं की जा सकती है। मुख्य आयुक्त स्वयं जाँच करने का चयन या किसी आयुक्त को जाँच करने का निर्देश या रेलवे प्रशासन द्वारा जाँच करने देने का विनिश्चय कर सकता है। संबंधित आयुक्त इसके पश्चात् तदनुसार रेल प्रशासन और रेलवे बोर्ड को अधिसूचित करेगा।

(ख) रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 के नियम 15 के अनुसार, रेल प्रशासन के प्रधान से संयुक्त जाँच (रेल अधिकारियों की समिति द्वारा की गई जाँच) की कार्यवाही के मिलने पर, रेल संरक्षा आयुक्त उसकी समीक्षा करेगा और यदि वह संयुक्त जाँच के निष्कर्ष से सहमत है तो वह रिपोर्ट की प्रति मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को निष्कर्ष के बारे में अपने विचार सिफारिशों सहित अग्रेषित करेगा। यदि आयुक्त अनुभव करता है, तो वह रेल प्रशासन को या तो नए सिरे से जाँच करने या विशिष्ट मुद्दों को पुनः परीक्षण करने और संशोधित निष्कर्षों को प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दे सकता है। यदि दूसरी ओर, संयुक्त जाँच की कार्यवाही पर विचार कर लेने के बाद, रेल संरक्षा आयुक्त समझता है कि स्वयं उसके द्वारा जाँच की जानी चाहिए तो वह यथा संभव शीघ्र मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, रेलवे बोर्ड और संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को जाँच करने के अपने अभिप्राय की सूचना देगा और उसी समय जाँच की तारीख, समय और स्थान नियत करेगा और संसूचित करेगा।

(ग) यदि दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन, दुर्घटना की जाँच करने के लिए किसी जाँच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसकी जाँच के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो, और इसके प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम के समी अथवा कोई उपबन्ध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिये हों, तो रेल संरक्षा आयुक्त, जिसे दुर्घटना की सूचना दे दी गयी हो, अपनी ओर से जाँच नहीं करेगा और यदि उसने जाँच पहले ही आरंभ कर दी हो तो उसे और आगे नहीं बढ़ाएगा, तथा जाँच से संबंधित साक्ष्य अभिलेख या अन्य दस्तावेज जो उसके कब्जे में हों, ऐसे प्राधिकारी के सुपुर्द करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया गया हो।

3. रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करना -

यदि रेल संरक्षा आयुक्त ने किसी दुर्घटना की बाबत जाँच नियम 2 के उपनियम (2) के अधीन की है तो वह संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त और रेलवे बोर्ड को एक साथ प्रस्तुत करेगा। उस दशा में जब मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने नियम 2(3) और 2(6) के निबंधनों के अनुसार जाँच की है तो वह संक्षिप्त प्रारम्भिक वर्णनात्मक रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। यह रिपोर्ट तथ्यात्मक होगी और इसमें अलिप्त व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया जायेगा।

4. रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना -

जब कमी रेल संरक्षा आयुक्त ने नियम 2 के अधीन जाँच की हो, तो वह मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को लिखित गोपनीय रिपोर्ट पेश करेगा और रिपोर्ट की एक-एक प्रति :-

- (i) रेलवे बोर्ड को;
 - (ii) समी क्षेत्रीय रेलो के रेल प्रशासन को;
 - (iii) राज्य सरकार या स्थानीय प्रशासन के नियंत्रणाधीन रेल के मामले में ऐसी राज्य सरकार अथवा प्रशासन को, यदि दुर्घटना उस रेल में घटित हुई हो;
 - (iv) अन्य रेल संरक्षा आयुक्तों को, और
 - (v) यदि रेल संरक्षा आयुक्त इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दुर्घटना तोड़-फोड़ की कार्यवाही या गाड़ी गिराने के कारण हुई है, तो निदेशक, उपसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजेगा।
- (2) यदि जाँच मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई है तो वह रिपोर्ट को उपनियम (1) के खण्ड (i) से (v) में वर्णित प्राधिकारियों को प्रेषित करेगा।

5. रिपोर्टों का प्रकाशन -

- (1) रिपोर्टों के प्रकाशन के संबंध में सिफारिश मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त करेगा और तदनुसार रेलवे बोर्ड (रेल मंत्रालय) को सूचित करेगा।
- (2) यदि मुख्य आयुक्त की सिफारिशों से रेलवे बोर्ड असहमत है तो मामले पर अंतिम निश्चय केन्द्रीय सरकार (नागर विमानन मंत्रालय) द्वारा किया जायेगा।

6. जिला मजिस्ट्रेट या उसके प्रतिनिधि का रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जा रही जाँच में हाजिर रहना -

जहाँ रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 के नियम 17 के खण्ड (क) या (ख) के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा जाँच न की जा रही हो, वहाँ जिला मजिस्ट्रेट, यथासंभव रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जाँच में स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जाँच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

7. जिला पुलिस अधीक्षक या उसका प्रतिनिधि -

जिला पुलिस अधीक्षक, रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की गई जाँच में यथासंभव स्वयं हाजिर रहेगा या ऐसी जाँच में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिये किसी अन्य अधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा।

8. तकनीकी मामलों को स्पष्ट करने में रेल संरक्षा आयुक्त का मजिस्ट्रेट अथवा जाँच आयोग आदि की सहायता करना -

रेल संरक्षा आयुक्त, जब कभी उसे किन्हीं तकनीकी मामलों के स्पष्टीकरण में सहायता देने को कहा जाय, न्यायिक जाँच या रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 के नियम 17 के अधीन जाँच करने वाले मजिस्ट्रेट या जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जाँच आयोग या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य प्राधिकारी की, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किए गये हों, यथासंभव सहायता करेगा।

9. रेल संरक्षा आयुक्त की शक्तियाँ -

नियम 2 के उपनियम (6) में उपबन्धित सीमा के सिवाय, इन नियमों की कोई भी बात, रेल संरक्षा आयुक्त को अधिनियम की धारा 7 और 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को सीमित अथवा अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं समझी जायेगी।

10. निरसन और व्यावृत्ति -

(1) रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1973 निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्संबंधित उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी।

ह./-

प्रकाश चन्द्र

अवर सचिव, भारत सरकार

भारतीय रेलवे का कानून
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1969
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1969
भारतीय रेलवे अधिनियम, 1969

रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच)
नियम, 1998

Railway (Notices of and Inquiries into
Accidents) Rules - 1998

भारत के राजपत्र में दिनांक 2 जनवरी 99 तथा 6 मार्च 99 को सा.का.नि.

5-64 (भाग-11, खण्ड 3, उपखण्ड i) में प्रकाशित

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सा.का.नि. 5 एवं 64 केन्द्रीय सरकार, भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 122 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :-**
 - (1) इन नियमों का नाम रेल (दुर्घटनाओं की सूचना और जाँच) नियम, 1998 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **सूचनाओं में दिये जाने वाले विवरण :-**

भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 113 में उल्लिखित सूचनाओं में निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा, अर्थात् :-

 - (i) किलोमीटर - दूरी या स्टेशन या दोनों, जहाँ दुर्घटना घटी हो,
 - (ii) दुर्घटना का समय और तारीख,
 - (iii) गाड़ी या गाड़ियों का नम्बर और उसका या उनका विवरण,
 - (iv) दुर्घटना का प्रकार,
 - (v) मारे गये या आहत व्यक्तियों की संख्या, जहाँ तक ज्ञात हो, और
 - (vi) दुर्घटना का कारण, जहाँ तक ज्ञात हो, और
 - (vii) यातायात में सम्भावित निरोध।
3. **सूचनाएं भेजने की जिम्मेदारी- किसको और किस ढंग से भेजी जायेगी :-**

जब कभी कोई ऐसी दुर्घटना, जो अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत आती हो, रेल के कार्यचालन के अनुक्रम में घटित होती है, (इसमें इसके पश्चात् इसे रिपोर्ट करने योग्य "रेलगाड़ी दुर्घटना" कहा गया है) तो दुर्घटना स्थल से सब से पास का स्टेशन मास्टर, या जहाँ कोई स्टेशन मास्टर न हो वहाँ रेलवे के उस खण्ड का भारसाधक रेल सेवक, जहाँ दुर्घटना घटित हुई है, या रेल के किसी खंड का कोई अन्य भारसाधक स्टेशन मास्टर, जिससे दुर्घटना की रिपोर्ट की गयी हो, दुर्घटना की सूचना, रेल संरक्षा आयुक्त, जिस जिले में दुर्घटना घटित हुई हो उसके जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक को या ऐसे किसी अन्य मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी को, जिसे सम्बद्ध राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त किया गया हो, तार द्वारा और रेल पुलिस के अधीक्षक और उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर दुर्घटना घटित हुई हो, तार, टेलीफोन या विशेष संदेशवाहक या किन्हीं अन्य उपलब्ध द्रुत माध्यम से देगा।
- स्पष्टीकरण :-**

इस नियम के प्रयोजन के लिये अधिनियम की धारा 113 के अन्तर्गत "रिपोर्ट करने योग्य रेलगाड़ी दुर्घटना" जिनके अन्तर्गत ऐसी दुर्घटनाएं भी आती हैं जिनमें साधारणतः, जनहानि हुई हो, (जैसे यात्री गाड़ियों की टक्करें, पटरी से उतर जाना, गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास जैसी दुर्घटनाएं, लाइन के ऊपर रखी गई रूकावटों के उपर से गाड़ी का गुजर जाना, यात्रियों के गाड़ी से बाहर गिरने या गाड़ियों में आग लगने जैसे मामले), या भारतीय दंड संहिता में यथा परिभाषित घोर उपहति (जिसे इसमें इसके पश्चात् घोर उपहति कहा गया है) आई हो या रेल सम्पत्ति को पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति की जो भले ही वास्तविक रूप से न पहुँची हो लेकिन दुर्घटना के प्रकार को देखते हुए ऐसा होने की समुचित आशंका रही हो; और इसमें भू-स्खलन या वर्षा अथवा बाढ़ से लाइन टूट जाने के वे मामले भी शामिल माने जायेंगे जिनके कारण संचार की किसी महत्वपूर्ण सीधी लाइन पर कम से कम 24 घंटे यातायात में अवरोध हो जाये।
4. **राज्य सरकार को सूचनाएं भेजने का ढंग :-**

दुर्घटनाओं की वह सूचना, जिसका कि अधिनियम की धारा 113 के अधीन रेल प्रशासन द्वारा अविलम्ब भेजा जाना अपेक्षित है, राज्य सरकार को-

 - (क) निम्नलिखित मामलों में तार द्वारा -

- (i) नियम 3 के स्पष्टीकरण के अधीन, जनहानि के कारण, गम्भीर समझी जाने वाली दुर्घटनाएं,
- (ii) ऐसी दुर्घटनाएं, जिनके कारण स्थाई रेल पथ के 24 घंटों से अधिक समय के लिए बंद रहने की संभावना है, और
- (iii) गाड़ी ध्वंस या गाड़ी ध्वंस करने के प्रयास, और
- (ख) अन्य सभी मामलों में पत्र द्वारा, भेजी जायेगी।
5. रेल सेवकों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :-
हर रेल सेवक, रेल संचालन के अनुक्रम में घटित होने वाली ऐसी हर दुर्घटना की, जो उसकी जानकारी में आए, रिपोर्ट यथासंभव कम से कम विलम्ब में करेगा और ऐसी रिपोर्ट सबसे निकट के स्टेशन मास्टर से या कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेल के उस खण्ड के भारसाधक रेल सेवक से की जाएगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो।
6. स्टेशन मास्टर या खण्ड के भारसाधक रेल सेवक द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :-
स्टेशन मास्टर या खण्ड का भारसाधक रेल सेवक, दुर्घटनाओं की रिपोर्ट उन नियमों के अनुसार करेगा जो संबंधित रेल प्रशासन द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए अधिकथित हैं।
7. रेल प्रशासन द्वारा गम्भीर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करना :-
- (1) जब कभी रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के उपनियम (2) में यथा परिभाषित कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन, दुर्घटना घटने के बाद यथा संभव शीघ्र प्रेस को तार द्वारा ऐसे विवरण जो नियम 2 में उल्लिखित हैं और तब तक उपलब्ध हैं, भेजेगा और आगे सूचना उपलब्ध होने के तुरन्त बाद, यदि आवश्यक हो तो अनुपूरक तार द्वारा भेजी जायेगी। साथ ही साथ, एक प्रति एक्सप्रेस तार द्वारा रेलवे बोर्ड, सम्बंधित परिमण्डल के रेल संरक्षा आयुक्त और मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को भी भेजी जायेगी। इसके अतिरिक्त जिस मण्डल पर कोई गम्भीर दुर्घटना घटित हुई है उसका नियंत्रक, दूरभाष द्वारा रेल संरक्षा आयुक्त को सूचित करेगा।
- (2) उपनियम (1) के प्रयोजन के लिये कोई दुर्घटना वहाँ गंभीर दुर्घटना मानी जायेगी जहाँ :-
- (i) दुर्घटना यात्रियों को वहन करने वाली रेलगाड़ी के साथ हुई हो जिसमें रेलगाड़ी में जनहानि हुई हो या यात्री या यात्रियों को घोर उपहति हुई हो या जिसमें रेल सम्पत्ति को गंभीर नुकसान हुआ हो, जिसका मूल्य रू0 25,00,000 से अधिक हो या अन्य कोई दुर्घटना जिसकी मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त की राय में रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच करना अपेक्षित हो कोई कर्मकार गाड़ी या गिट्टी से लदी गाड़ी या सामान ढोने वाली या दुर्घटना सहायता गाड़ी या टावर वेगन या कर्मकारों को ले जाने वाली किसी प्रकार अन्य गाड़ी, या पशु स्पेशल/प्राधिकृत रक्षकों को ले जाने वाली मिलिटरी स्पेशल या इसी प्रकार की गाड़ियों को यात्री गाड़ी माना जायेगा।
- (ii) यात्रियों को ले जाने वाली दुर्घटनाग्रस्त यात्री गाड़ी से किसी रेल सेवक की जीवन हानि या घोर उपहति हो जाती हो तो बिना इस बात पर विचार किये कि वह उस गाड़ी में यात्रा कर रहा था या नहीं या रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जाँच की परिधि में आयेगा और "गंभीर रेल दुर्घटना" माना जायेगा :
- परन्तु यह कि -
- (क) स्वयं अपनी लापरवाही से गाड़ी के नीचे आ जाने और उपहति या मर जाने वाले अतिचारियों या स्वयं अपनी लापरवाही से उपहति या मर जाने वाले यात्रियों के मामले, और
- (ख) ऐसे व्यक्ति जो रेल सेवक हैं या विधिमान्य पास/टिकट धारक हैं या अन्यथा जो यात्री गाड़ी के चल स्टाक से बाहर जैसे फ्लूट बोर्ड पर या छत पर या बफर पर, लेकिन दो डिब्बों को जोड़ने वाले बीच के रास्ते के भीतरी भाग को छोड़कर, यात्रा करते हुए मर जाते हैं या गंभीर रूप से उपहत होते हैं या समपार पर या रेल पथ पर और कही यात्री गाड़ी द्वारा कुचले जाते हैं के मामले, और
- (ग) समपार पर सड़क यान और यात्री गाड़ी के बीच टक्कर जिसमें कोई यात्री या रेल सेवक न मरा हो या गम्भीर रूप से उपहत न हुआ हो "गम्भीर रेल दुर्घटना" नहीं समझी जाएगी, तब भी जब वे जो सड़क यान से यात्रा कर रहे हैं, मरते हैं या गम्भीर रूप से उपहत होते हैं, "गम्भीर रेल दुर्घटना" नहीं समझी जाएगी जब तक कि मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेल संरक्षा आयुक्त का यह विचार न हो कि दुर्घटना की जाँच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा कराई जाना अपेक्षित है।
8. दुर्घटना स्थल पर पहुंचने की सुविधा :-
जब कभी रेल संचालन के दौरान कोई दुर्घटना घटित हुई, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान, जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त या प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट को या जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जांच आयोग को या

किसी अन्य प्राधिकारी को, जिस पर उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबन्ध लागू किये गये हों और रेल संरक्षा आयुक्त चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस व अन्य सम्बंध व्यक्तियों को सभी, उचित सहायता देगा ताकि वे दुर्घटना स्थल पर शीघ्र पहुंच सकें और वह जांच करने और दुर्घटना के कारण के संबंध में साक्ष्य प्राप्त करने में भी इन प्राधिकारियों की सहायता करेगा।

9. दुर्घटनाओं में गम्भीर रूप से उपहत हुए व्यक्तियों को डाक्टरों की सहायता :-

जब किसी रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली किसी दुर्घटना में किसी को गम्भीर उपहति हो जाए तो संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह पीड़ितों को डाक्टरों की सहायता दे और यह देखें कि जब तक पीड़ितों को उसके घर न पहुंचा दिया जाए या उनके संबंधियों या मित्रों को उन्हें न सौंप दिया जाए तब तक उनकी उचित प्रकार से और सावधानीपूर्वक सेवा सुश्रुषा की जाती है। ऐसे किसी मामले में, या किसी ऐसे मामले में जिसमें जनहानि हुई और अथवा किसी को गम्भीर उपहति हुई हो, तो निकटतम उपलब्ध स्थानीय चिकित्सा अधिकारी को, यदि वह रेलवे चिकित्सा अधिकारी की अपेक्षा निकट हो, बुलाया जायेगा।

10. न्यायिक जाँच या रेल संरक्षा आयुक्त या मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जाँच स्थल पर रेल सेवकों की हाजिरी की व्यवस्था करना :-

जब रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन या इन नियमों के नियम 17 के अधीन कोई जाँच या कोई न्यायिक जाँच की जा रही हो तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान ऐसे सभी रेल सेवकों की, जिनके साक्ष्य की ऐसी जाँच के समय अपेक्षा की जाने की संभावना हो, जाँच स्थल पर, जब तक आवश्यक हो, हाजिरी की व्यवस्था करेगा, और यदि जांच रेल दुर्घटनाओं की कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जानी हो, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान,

(क) नियम 14 के उपनियम (1) के खंड (क) और खण्ड (ग) में उल्लिखित अधिकारियों को जाँच शुरू होने की तारीख, समय और स्थान की सूचना दिलवायेगा, तथा

(ख) जाँच में साक्षी के रूप में अपेक्षित मण्डल अधिकारियों रेल सेवकों की उपस्थिति की भी व्यवस्था करेगा।

11. रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट मिलने पर रेल प्रशासन के प्रधान द्वारा की जाने वाली कार्रवाई :-

जब कभी सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को, रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 4 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हो, तो तुरन्त उसकी पावती अभिस्वीकार करेगा, और

(क) वह रेल प्रशासन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट पर तुरन्त रिपोर्ट में व्यक्त विचारों पर अपनी टिप्पणियाँ मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को साथ ही एक प्रति रेल संरक्षा आयुक्त को देगा और यदि वह तुरन्त अपनी टिप्पणी देने में असमर्थ हो तो रिपोर्ट की अभिस्वीकृति में अपने इस अभिप्राय की सूचना देगा कि वह अपनी टिप्पणी बाद में यथाशक्य शीघ्र भेजेगा,

(ख) यदि संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान रिपोर्ट में व्यक्त विचारों से सहमत है और किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों पर अभियोजन करना वांछनीय समझता हो, तो वह ऐसे व्यक्तियों के विवरण की रिपोर्ट उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को जिसमें दुर्घटना घटित हुई है या अन्य ऐसे अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस सम्बंध में नियुक्त करे और संबंधित पुलिस प्राधिकारी को तुरन्त भेजेगा,

(ग) यदि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस प्राधिकारी रिपोर्ट की प्रति की अपेक्षा करता है तो उसे भेजा जा सकेगा और रिपोर्ट की गोपनीयता के लिये जिला/पुलिस प्राधिकारियों को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए, तथा पुलिस प्राधिकारी किसी अभियोजना को चलाने के सम्बन्धित उनके विनिश्चय के बारे में सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को यथाशक्य शीघ्र सूचित करेगा।

12. रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट में दिये गये सुझावों पर रेल प्रशासन का प्रधान अपनी टिप्पणियाँ देगा :-

जब कभी रेल संरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट किसी नियम अथवा रेल संचालन की प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता की ओर संकेत करे या परिवर्तन का सुझाव दे, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, वैसी दुर्घटनाओं की आवृत्ति को रोकने के लिए की गई अथवा किए जाने के लिये प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त को तथा एक प्रति रेल संरक्षा आयुक्त को देगा।

13. संयुक्त जाँच कब अभिमुक्ति दी जाय :-

(1) जब कभी, रिपोर्ट करने योग्य दुर्घटना जैसी अधिनियम की धारा 113 में वर्णित है, रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो संबंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के कारणों का पूरा अन्वेषण करने के निमित्त रेल अधिकारियों की एक समिति द्वारा शीघ्र जाँच (जिसे "संयुक्त जाँच" कहा जायेगा) करवायेगा।

परन्तु ऐसी जाँच से अभिमुक्ति दी जा सकेगी -

(क) यदि रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के अधीन रेल संरक्षा आयुक्त या जाँच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन नियुक्त जाँच आयोग द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी, जिस पर रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, के नियम 2 के अधीन उक्त जाँच आयोग अधिनियम के सभी अथवा कोई उपबन्ध लागू किये गये हों, द्वारा कोई जांच की जानी हो, या

(ख) यदि दुर्घटना के कारण के संबंध में कोई भी युक्तियुक्त संदेह न हो, या

(ग) यदि सम्बंधित रेल प्रशासन का कोई विभाग सूचित करे कि वह इस मामले को पूरी जिम्मेदारी मानता है।

(2) जहाँ उपनियम (1) के परन्तुक के खण्ड (ख) या (ग) के अधीन इस प्रकार की जाँच से अभिमुक्ति की गयी हो वहाँ दुर्घटना के लिये उत्तरदायी रेल प्रशासन के विभाग के प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि यह ऐसी जाँच (जिसे "विभागीय जाँच" कहा जाय) करें, जैसा वह आवश्यक समझता हो और यदि त्रुटि उसके कर्मचारियों या प्रणाली या कार्य-करण की हो, तो ऐसे उपाय करे अथवा ऐसे उपायों का सुझाव दें, जिन्हें वह इस प्रकार की दुर्घटनाओं की आवर्ती को रोकने के लिये आवश्यक समझता हो।

14. संयुक्त जाँच की सूचना :-

(1) जब कभी संयुक्त जाँच की जानी हो, तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान निम्नलिखित अधिकारियों को जांच प्रारम्भ होने की तारीख तथा समय की सूचना देने की व्यवस्था करेगा, अर्थात् :

(क) उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को, जिसमें दुर्घटना घटित हुई हो या किसी ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, रेलवे पुलिस के अधीक्षक को तथा जिला पुलिस अधीक्षक को,

(ख) रेल के उस खण्ड के रेल संरक्षा आयुक्त को जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो, और

(ग) उस रेल पुलिस के प्रधान को, जिसकी उस स्थान पर अधिकारिता है जहाँ दुर्घटना घटित हुई हो, यदि वहाँ कोई भी रेल पुलिस न हो, तो उस पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को जिसकी अधिकारिता में वह स्थान पड़ता हो।

(2) जांच शुरू होने की तारीख व समय इस प्रकार नियत किए जाएंगे कि उपनियम (1) में उल्लिखित अधिकारियों को उस स्थान पर जहाँ जांच होनी है, पहुँचने के लिये पर्याप्त समय मिल जाए।

(3) जब रेल दुर्घटनाओं का कानूनी अन्वेषण नियम, 1998 के नियम 2 के उपनियम (5) के अधीन जांच करने के लिये रेल संरक्षा आयुक्त की असमर्थता के बारे में सूचना प्राप्त होने पर किसी दुर्घटना की संयुक्त जांच की जाए तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान इस संबंध में एक प्रेस नोट भी जारी करेगा जिसमें जांच के दौरान साक्ष्य देने या दुर्घटना के सम्बंध में प्रेस नोट में विनिर्दिष्ट पते पर संयुक्त जांच समिति को जानकारी भेजने के लिए जनता को आमंत्रित किया जाएगा।

15. संयुक्त जांच अथवा विमगीय जांच की रिपोर्ट रेल प्रशासन के प्रधान को भेजा जाना और उस पर की जाने वाली कार्रवाई :-

(1) जैसे ही कोई संयुक्त जांच अथवा विभागीय जांच समाप्त हो, यथास्थिति, रेल अधिकारियों की समिति का अध्यक्ष या विभाग का प्रधान सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को एक रिपोर्ट भेजेगा जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित विवरण दिया जायेगा :-

(क) दुर्घटना का संक्षिप्त वर्णन;

(ख) दुर्घटना-स्थल का वर्णन;

(ग) लिये गये साक्ष्य का ब्यौरेवार विवरण;

(घ) विसम्मति नोट, यदि कोई हो, सहित निकाले गये निष्कर्ष;

(ङ) निकाले गये निष्कर्षों के कारण;

(च) हुई क्षति का प्रकार और सीमा;

(छ) दुर्घटना का दृष्टांत रूप एक नक्शा, यदि आवश्यक हो;

(ज) मृत या उपहत रेल सेवकों की संख्या;

(झ) मृत या उपहत यात्रियों की संख्या;

एक परिशिष्ट जिसमें उन नियमों के उद्धरण होंगे जिनका अतिक्रमण दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों द्वारा किया गया हो।

(2) सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान, दुर्घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों अथवा नियमों या कार्य-प्रणाली के पुनरीक्षण के लिये आशयित कार्रवाई के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणी सहित, उपनियम (1) में निर्देशित रिपोर्ट की एक प्रति :

(क) रेलवे के उस खण्ड के रेल संरक्षा आयुक्त को, जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो;

(ख) यदि नियम 17 के अधीन कोई जांच या अन्वेषण न किया गया हो, या यदि पहले कोई संयुक्त या विभागीय जांच की

- गयी हो, तो जिला मजिस्ट्रेट को या नियम 14 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त अधिकारी को, और
- (ग) यदि कोई न्यायिक जांच की जा रही हो, तो जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को, भेजेगा।
- (3) पूर्वोक्त रिपोर्ट की प्रति के साथ :-
- (क) उपनियम (2) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट मामले में उन व्यक्तियों के कथन की जो दुर्घटना में अर्न्तवलिता हों और जिन का अभियोजन करना सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान वांछनीय समझता हो; और
- (ख) उपनियम (2) के खंड (ग) में निर्दिष्ट मामले में, जांच में लिये गये साक्ष्य की एक प्रति होगी।
16. धारा 113 के अन्तर्गत न आने वाली दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट रेल संरक्षा आयुक्त को भेजी जाना :-
- (1) जब कभी अधिनियम की धारा 113 में विनिर्दिष्ट प्रकृति से भिन्न प्रकार की कोई दुर्घटना, जैसे टक्करों को बचा लेना, ब्लाक नियमों के उल्लंघन या अन्य तकनीकी दुर्घटनाएँ, किसी रेल संचालन के दौरान घटित होती हैं तो संबंधित रेल प्रशासन दुर्घटना की संयुक्त जांच या विभागीय जांच करा सकता है।
- (2) यदि उपनियम (1) में यथा उपबंधित कोई जांच की जाती है तो सम्बंधित रेल प्रशासन का प्रधान जांच रिपोर्ट की एक प्रति, रेलवे के जिस खंड पर दुर्घटना घटी हो, उसके रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा।
17. मजिस्ट्रेट द्वारा जांच :-
- जब कभी अधिनियम की धारा 113 में वर्णित कोई दुर्घटना रेल संचालन के दौरान घटित हो, तो जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य मजिस्ट्रेट जिसे राज्य सरकार ने इस निमित्त नियुक्त किया हो या तो :-
- (क) उन कारणों की जांच, जिनके कारण दुर्घटना हुई है, स्वयं कर सकेगा; या
- (ख) ऐसी जांच करनेके लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को, जो यदि संभव हो तो, प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट होगा, प्रतिनियुक्त कर सकेगा; या
- (ग) यह निदेश कर सकेगा कि जिन कारणों की वजह से दुर्घटना घटी है, उनका अन्वेषण पुलिस द्वारा किया जाय;
- परन्तु यदि, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिये किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसने जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिये उक्त अधिनियम के समी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हों, तो मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी इस नियम के अधीन अपनी जांच या अन्वेषण नहीं करेगा और यदि उसने पहले ही जांच या अन्वेषण शुरू कर दिया हो, तो उसे और आगे नहीं बढ़ायेगा, और ऐसा मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी, जांच या अन्वेषण से सम्बंधित साक्ष्य, अभिलेख या अन्य दस्तावेज, जो उसके कब्जे में हो, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देगा जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।
18. मजिस्ट्रेट द्वारा की गयी जांच की सूचना :-
- जब कभी नियम 17 के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन जांच करने विनिश्चय किया जाए, तो यथास्थिति, जिला मजिस्ट्रेट या पूर्वोक्त रूप से नियुक्त अन्य मजिस्ट्रेट या नियम 17 के खंड (ख) के अधीन प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट तुरन्त संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और मण्डल रेल प्रबंधक को तार द्वारा जांच शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा ताकि रेल प्रशासन अपेक्षित विशेषज्ञ साक्ष्य समन कर सके और इसके बाद वह दुर्घटना स्थल पर जायेगा और जांच करेगा।
19. न्यायिक जांच :-
- नियम 17 के अधीन जांच करने वाला मजिस्ट्रेट, किसी रेल सेवक और किसी अन्य व्यक्ति को, जिसकी हाजिरी वह आवश्यक समझे, समन कर सकेगा और साक्ष्य लेने और जांच पूरी करने के बाद, यदि उसके विचार में न्यायिक जांच करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए अपेक्षित कार्यवाई करेगा, जिसे वह दुर्घटना के लिए आपराधिक दायित्व के अधीन समझता हो।
20. मजिस्ट्रेट द्वारा की गई जांच का परिणाम रेल प्रशासन के प्रधान को संसूचित किया जाना :-
- नियम 17 के अधीन की गई हर जांच या अन्वेषण का परिणाम उस मजिस्ट्रेट द्वारा जिसने ऐसी जांच या अन्वेषण किया हो, संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान और रेल संरक्षा आयुक्त को संसूचित किया जायेगा।
21. न्यायिक जांच करने वाले मजिस्ट्रेट की सहायता के लिये रेल सेवकों को समन करने की प्रक्रिया :-
- (1) यदि रेल संचालन के दौरान घटित किसी दुर्घटना की कोई न्यायिक जांच करने के अनुक्रम में ऐसी जांच करने वाला मजिस्ट्रेट सम्बंधित रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की सहायता चाहता हो तो वह रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की उपस्थिति के लिए एक मांग पत्र मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त या रेलवे बोर्ड को भेजेगा और ऐसा करते समय वह यह भी अधिकथित करेगा कि वह किस प्रकार की सहायता चाहता है और यदि किसी रेल अधिकारी की सहायता की आवश्यकता है तो न्यायालय में उसकी हाजिरी के लिए रेल प्रशासन के प्रधान को मांग पत्र जारी करेगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मांगपत्र में अपेक्षित सहायता की प्रकृति अधिकथित होगी। रेल पदाधिकारियों को समन करते समय मजिस्ट्रेट, इस बात का ध्यान रखेगा कि रेल सेवकों को, विशेषतः एक ही वर्ग के कर्मचारियों को, एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में समन न किया जाये कि उससे रेल संचालन में असुविधा हो। गम्भीर दुर्घटनाओं के मामले में मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच को अंतिम रूप से समाप्त करने से पहले दुर्घटना के सम्बंध में सम्बंधित रेल संरक्षा आयुक्त तथा रेल प्रशासन के प्रधान की रिपोर्ट मांग सकेगा।

22. न्यायिक जांच की विनिश्चय की रेल प्रशासन, रेल संरक्षा आयुक्त और राज्य सरकार को संसूचना :-
न्यायिक जांच की समाप्ति पर, मजिस्ट्रेट अपने विनिश्चय की एक प्रति सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान को और रेल संरक्षा आयुक्त को भेजेगा और जब तक कि वह किसी मामले में ऐसा करना आवश्यक न समझे, जांच के परिणाम की रिपोर्ट राज्य सरकार से करेगा।

23. पुलिस अन्वेषण कब न किया जाए - मृत्यु, गम्भीर रूप से उपहत या रेल सम्पत्ति की क्षति पर रिपोर्ट :-
(1) रेल संचालन के दौरान घटित किसी भी दुर्घटना के कारणों का अन्वेषण रेल पुलिस कर सकती है और वह ऐसा तब करेगी जब कभी :

- (क) ऐसी दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गंभीर उपहत हुई हो या रेल सम्पत्ति को 25,00,000 रूपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या दुर्घटना प्रथम दृष्टया किसी आपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो, या
- (ख) जिला मजिस्ट्रेट या नियम 17 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट ने उस नियम के खण्ड (ग) के अधीन ऐसा करने का निर्देश किया हो :

परन्तु यह कि जहां, दुर्घटना की प्रकृति को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के अधीन दुर्घटना की जांच करने के लिए किसी जांच आयोग की नियुक्ति कर दी हो या उसमें जांच करने के लिए कोई अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर दिया हो और उस प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम के सभी या कोई उपबंध उस प्राधिकारी पर लागू कर दिए हो या नियम 17 के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत जब न्यायिक जांच की जा रही है, वहां रेल पुलिस इस नियम के अधीन कोई अन्वेषण नहीं करेगी और जहां कि उन्होंने अपना अन्वेषण पहले ही शुरू कर दिया हो, वहां उसे और नहीं बढ़ायेगी, और अन्वेषण से सम्बंधित अभिलेखों या अन्य दस्तावेजों को, जो उनके कब्जे में हो, ऐसे प्राधिकारी को सौंप देंगे, जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(2) रेल पुलिस रेल संचालन के दौरान घटित होने वाली ऐसी दुर्घटना की, जो उसकी जानकारी में आए, रिपोर्ट जिसमें जनहानि हुई हो या गम्भीर उपहत हुई हो या रेल सम्पत्ति की पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो या जो प्रथमदृष्टया किसी आपराधिक कार्य या चूक के कारण घटी हो यथा संभव कम से कम विलम्ब में उससे निकट के स्टेशन मास्टर से या जहां कोई स्टेशन मास्टर न हो वहां रेल के उस खण्ड के भारसाधक रेल कर्मचारी से करेगी जिस पर दुर्घटना घटित हुई हो।

24. (1) दुर्घटना का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी की हैसियत :-
जब कभी किसी रेल पुलिस द्वारा :

- (क) किसी ऐसे मामले का, जिसमें दुर्घटना में जनहानि हुई हो या गंभीर उपहत हुई हो या रेल सम्पत्ति का पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की गम्भीर क्षति पहुंची हो, या -
- (ख) नियम 17 के खण्ड (ग) के अधीन दिये निदेश के अनुशरण में, अन्वेषण करना हो, तो :-

अन्वेषण उस क्षेत्र की रेल पुलिस के प्रधान द्वारा किया जाएगा, जहां दुर्घटना घटित हुई है, या यदि वह अधिकारी स्वयं अन्वेषण करने में असमर्थ हो, तो उसके द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रतिनियुक्त अधिकारी, साधारणतः उपलब्ध वरिष्ठ अधिकारी और जब कभी सम्भव हो, राजपत्रित अधिकारी होगा और किसी भी स्थिति में निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा

परन्तु -

- (i) उपनियम (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले में, यदि एक से अधिक व्यक्ति की जीवन हानि न हुई हो या एक से अधिक व्यक्ति को गंभीर उपहत न हुई हो या रेल सम्पत्ति को पच्चीस लाख रुपये से अधिक मूल्य की क्षति न पहुंची हो या जहां ऐसा संदेह करने का कोई कारण न हो कि कोई रेल सेवक रेल संचालन से सम्बंधित किसी नियम की उल्लंघना करने का दोषी है, या
- (ii) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में यदि जिला मजिस्ट्रेट इस प्रकार का निर्देश करता है, तो अन्वेषण पुलिस स्टेशन के किसी भारसाधक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

25. पुलिस अन्वेषण की सूचना :-

अधिकारी जिसे नियम 24 के अनुसरण में अन्वेषण करना है, तत्काल संबंधित रेल प्रशासन के प्रधान और मण्डल रेल प्रबन्धक को तार द्वारा अन्वेषण शुरू होने की तारीख और समय की सूचना देगा, ताकि, यदि संभव हो तो, कार्यवाही को देखने तथा अन्वेषण करने

वाले अधिकारी की सहायता के निमित्त किसी रेल पदाधिकारी की हाजिरी की व्यवस्था की जा सके। इसके बाद वह अविलम्ब दुर्घटना स्थल पर जायेगा और वहां अन्वेषण करेगा। फिर भी रेल पदाधिकारी की गैरहाजिरी के कारण अन्वेषण में विलम्ब नहीं किया जाएगा और उसे दुर्घटना घटित होने के बाद यथासंभव शीघ्र किया जाएगा।

26. (1) जिला पुलिस द्वारा सहायता :-

ऐसे हर मामले में जिस पर नियम 24 लागू होता है, उस क्षेत्र की रेल पुलिस द्वारा जिला पुलिस को शीघ्र सूचना दी जाएगी, जो यदि ऐसे अपेक्षित हो तो, सभी आवश्यक सहायता देंगी और आवश्यकता पड़ने पर, रेल परिसर की सीमा से बाहर अन्वेषण करेगी। लेकिन सीमाओं के भीतर अन्वेषण करने के लिए मुख्यतः उस क्षेत्र की रेल पुलिस ही उत्तरदायी होगी।

(2) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए पुलिस अन्वेषण समाप्त होने के बाद मामले को आगे अभियोजन रेलवे पुलिस के हाथ में होगा।

28. पुलिस के अन्वेषण के परिणाम की संसूचना :-

पुलिस के हर अन्वेषण परिणाम की रिपोर्ट तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त अन्य अधिकारी, सम्बंधित रेल प्रशासन के प्रधान या उसके द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारी और रेल संरक्षा आयुक्त को दी जायेगी।

28. जिला पुलिस द्वारा रेल पुलिस के कर्तव्यों का निर्वहन करना :-

जहां क्षेत्र में कोई भी रेल पुलिस नहीं है वहां नियम 23, 24 और 25, नियम 26 उपनियम (2) और नियम 27 द्वारा क्षेत्र की रेल पुलिस या उस रेल पुलिस के प्रधान पर अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन यथास्थिति, जिला पुलिस द्वारा या जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाएगा।

29. निरसन और व्यावृत्ति :-

(1) रेल (दुर्घटनाओं की सूचनाएं और जांच) नियम, 1973 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, निरसित नियमों के अधीन की गयी कोई बात या कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

ह./-

कार्यकारी निदेशक
रेलवे बोर्ड